

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर  
 कंशी खण्ड - ५३३३७  
 ६५/२० डाका

विराप	दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विराप विवरण
	२६ <sup>३</sup> / <sub>२४</sub>	पत्रावली पेश हुई। जी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पूर्व पूर्वानुसार दिनांक २१.१.२४ को पेश हो।	
	२१ <sup>५</sup> / <sub>२४</sub>	पत्रावली अर्द्धांगिक उप-तहसील जालपुर के कुरैला रिपोर्ट अर्द्धांगिक तहसील जालपुर को पुनः कुरैला रिपोर्ट हेतु तहसील जाती थी पत्रावली वाले अर्द्धांगिक रिपोर्ट हेतु दिनांक ३० <sup>०५</sup> / <sub>२०२५</sub> को पेश हो।	
	३० <sup>५</sup> / <sub>२५</sub>	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर कायू न्यवस्था/प्रोटोकॉल के अन्तर्गत पधारें हुए हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक १५ <sup>०५</sup> / <sub>२५</sub> को पेश हो।	(कुरैला रिपोर्ट कायू)
	१५ <sup>५</sup> / <sub>२५</sub>	पत्रावली अर्द्धांगिक उप-तहसील जालपुर से कुरैला रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। पीठासीन अधिकारी ने जांच किया कि पीठासीन संख्या-५ अर्द्धांगिक की मूल्य है चुकी है। अतः वासी कायू-मुकाम पेश करें। पत्रावली दिनांक २० <sup>५</sup> / <sub>२५</sub> को पेश हो।	
	२० <sup>५</sup> / <sub>२५</sub>	सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर पत्रावली अर्द्धांगिक उप-तहसील वासीने अर्द्धांगिक ०२२२५ सपबित धारा-१५ व संशोधित अनुवाक पेश किया तथा पीठासीन संख्या-५ की मूल्य के बाद उनके कार्रवाई के रिपोर्ट पर लेने बाबत अर्द्धांगिक पेश हुआ।	



576

बंशी बन्ना चड

केस संख्या : 64/20

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	केस संख्या :	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
		<p>उत्पन्न के उत्तम प्रमाण का जवाब ना देकर सीधे बटल की प्रमाण बाबत प्रतीवादी-5 की मुद्द के बाद उनके करिमान को रिपोर्ट पर लेते बाबत का अवलोकन किया गया। बूक प्रतीवादी-5 के अपने हिस्से को की जरूरी बहिपतनाग रिपोर्ट 26/12/2019 को अपने पुजे के गठ कर दिया है इतना पुजे को डिफ्री में शामिल किया जाये। उनके वर्तमान के कुरियात रिपोर्ट प्रतीवादी-5 के गठ से भी है तथा प्रतीवादी ने यह आपत्त पूर्व में कही भी नहीं उठारे जबकि वसीपत रिपोर्ट 26.12.2019 को ही हो गयी थी इतना प्रमाण सस्वीकार कर स्वीकार किया जाता है।</p> <p>प्रमाण 022-R4 सप्लीट धारा-15। प्रमाण तर्कों के आधार पर न्यायिक है स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित उत्पन्न रिपोर्ट पर लिखा जाता है।</p> <p>उत्पन्न की कुरियात रिपोर्ट पर बटल मुनि गरी कोर आपत्त जाहिल नहीं की है इतना। तदनुसार जेल से जल कुरियात के आधार पर बटल डिफ्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिफ्री प्रमाण से लिखवाया गया। पंजाबी कैसल शुमार घेना दाखिल दस्त है।</p>		

सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 64/2020

वाद प्रस्तुति दिनांक : 14.09.2020

बंशी पुत्र बिस्धा जाति अहीर निवासी ढाणी तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादी

### बनाम

1. चंदाराम पुत्र गंगाराम जाति रैगर
2. मूली कंवर पुत्र श्योजी सिंह चारण (फौत)
- 2/1. इंद्र सिंह पुत्र मूली कंवर
- 2/2. रामा कंवर पुत्र मूली कंवर
- 2/3. सुगन कंवर पुत्री मूली कंवर
- 2/4. सायर कंवर पुत्री मूली कंवर
3. माल सिंह पुत्र कानसिंह जाति चारण
4. रामलाल पुत्र गंगाराम जाति रैगर (फौत)
- 4/1. कालूराम डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/2. लालचंद डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/3. मांगीलाल डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/4. रामेश्वर डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/5. छोटा देवी पत्नी रामलाल
- 4/6. ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल
- 4/7. मनभरी पुत्री रामलाल
- 4/8. सीता देवी पुत्री रामलाल

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम रायथल, तहसील आमेर हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर।

5. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी ढाणी नोवडी तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति चारण निवासी ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
8. दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर राज।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 20.05.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि

वाके ग्राम रायथल, पटवार क्षेत्र रायथल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 1/1292 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1293 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24/1298 रकबा 0.04 हैक्टेयर,

*Bmi*  
सहायक कलक्टर  
आमेर म. जयपुर



खसरा नंबर 3 रकबा 2.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1303 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35/1304 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 4.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41/1307 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45/1308 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46/1310 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48/1311 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6 रकबा 3.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 7 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.96 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 21.41 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज व अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 में वाद अधीन कृषि भूमि की खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है परंतु मौके पर पक्षकारान् मनबंट के आधार पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर निरंतर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान जमा करवाते आ रहे हैं। बिनायदावा दिनांक 05.09.2020 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने मौके पर कब्जे काश्त के मध्येनजर बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादी को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृषि से अकृषि में उपयोग करने हेतु कच्चा पक्का निर्माण करने तथा विशेष भू-भाग को विक्रय हस्तान्तरण करके खुर्द-बुर्द करने की ऐलानियां धमकी दी जो निरंतर जारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। दिनांक 18.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 की ओर से जवाब दावा में अंकित संक्षिप्त तथ्य में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 3/8 हिस्सा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त कर उपयोग-उपभोग कर फायदा उठा रहे है। दिनांक 05.09.2020 को प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने या निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया ना ही इस मद में वर्णित कोई धमकी दी ना निर्माण सामग्री मौके पर डाली वादी ने इस मद में दावा प्रस्तुत करने के लिए व प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने के लिए गलत तथ्य अंकन किये है जिनका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 व 6 की ओर से जवाब

13/10/24  
महाश्वक कलक्टर  
आमर 26 जयपुर



दावा प्रस्तुत कर वास्तविक कब्जे काशत के अनुसार व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कच्चे पक्के निर्माण को मध्येनजर रखते हुए उत्तरदाता की भूमि का भी विभाजन किया जाकर अलग-अलग पर्चा लगान कायम किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन करने पर वाद बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया।

तदनुसार तहसीलदार जालसू को निर्देशित किया जाता है कि वे राज० टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए आराजी खसरा नंबर 1/1292 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1293 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 10 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 2.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24/1298 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 3 रकबा 2.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1303 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35/1304 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 4.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41/1307 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45/1308 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46/1310 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48/1311 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6 रकबा 3.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 7 रकबा 1.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.96 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 21.41 हैक्टेयर का उभयपक्ष का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में कुर्रजात प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाये।

तहसीलदार जालसू द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट भेजे गये तथा उभयपक्ष की कुर्रजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. बंशी पुत्र बिरदा जाति अहीर (यादव) ढाणी नवोढी तन रामपुरा खातेदार राहिन सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 3/1 रकबा 2.317, खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.3105 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6275 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कालूराम पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर, सा. देह खातेदार, चंदाराम पुत्र गंगाराम हि. 1/2 जाति रैगर सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, छोटी

Bm  
सहायक कलेक्टर  
अमेर म. जयपुर



पत्नी स्व. रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, मनीषा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, लालचंद पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, सीता देवी पुत्री रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 10 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/1 रकबा 2.5773 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24/1298 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.623 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4 जाति महाजन सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल हि. 3/4 जाति महाजन सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा के हिस्से खसरा नंबर 5 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6/1 रकबा 3.456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 7 रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/3 रकबा 0.0267 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4/4 रकबा 0.2600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 7.8827 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. माल सिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/2 सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/2 सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 4/3 रकबा 3.8885 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1292 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1293 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1303 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35/1304 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41/1307 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44/1 रकबा 2.5540 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45/1308 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46/1310 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48/1311 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 7.8825 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. कालूराम पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह, चंदाराम पुत्र गंगाराम हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, छोटी पत्नी स्व. रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, बंशी पुत्र बिरधा हि. 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी नावेडी तन रामपुरा खातेदार राहिन हि. 1/8 पूर्ण खाता दी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा चौमूं, मनीषा देवी पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, माल सिंह पुत्र कानसिंह हि. 3/16 सा. देह खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप हि. 3/40 जाति महाजन सा. रायथल खातेदार राहिन हि. 3/40 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भैंसावा,

Bm  
सहायक कलेक्टर  
अमर न. जयपुर




प्रकरण संख्या = 44/2020  
सज्जनवाणी = बंशी मनाम चंदाशम वर्मा  
निर्णय दिनांक = 20.05.2025

रामेश्वर पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह, रागरवरूप पुत्र कन्हैयालाल हि. 3/10 जाति महाजन सा. ढाणी नावेडी तन रागपुरा खातेदार राहिन हि. 3/10 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा, रामसिंह पुत्र कानसिंह हि. 3/16 जाति चारण सा. देह खातेदार राहिन हि. 3/32 पूर्ण खाता राजस्थान मरुधरा बैंक ग्रामीण बैंक शाखा जालसू लालचंद पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, सीता देवी पुत्री रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 3/2 रकबा 0.0630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4/2 रकबा 0.0810 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6/2 रकबा 0.1440 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44/2 रकबा 0.0560 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/2 रकबा 0.0460 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर



अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई  
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस

वाद प्रस्तुति दिनांक : 14.09.2020

नियमित वाद संख्या 64/2020

बंशी पुत्र बिरधा जाति अहीर निवासी ढाणी तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।  
..... वादी

**बनाम**

1. चंदाराम पुत्र गंगाराम जाति रैगर
2. मूली कंवर पुत्र श्योजी सिंह चारण (फौत)
- 2/1. इंद्र सिंह पुत्र मूली कंवर
- 2/2. रामा कंवर पुत्र मूली कंवर
- 2/3. सुगन कंवर पुत्री मूली कंवर
- 2/4. सायर कंवर पुत्री मूली कंवर
3. माल सिंह पुत्र कानसिंह जाति चारण
4. रामलाल पुत्र गंगाराम जाति रैगर (फौत)
- 4/1. कालूराम डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/2. लालचंद डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/3. मांगीलाल डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/4. रामेश्वर डबरिया पुत्र रामलाल
- 4/5. छोटा देवी पत्नी रामलाल
- 4/6. ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल
- 4/7. मनभरी पुत्री रामलाल
- 4/8. सीता देवी पुत्री रामलाल
- समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम रायथल, तहसील आमेर हाल तहसील जालसू, जिला जयपुर।
5. रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी ढाणी नोवडी तन रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति चारण निवासी ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
8. दी सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं जरिये शाखा प्रबंधक।
9. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक महोदय, आमेर, जिला जयपुर राज।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत  
अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री

जाता है:-

बंशी पुत्र बिरधा जाति अहीर (यादव) ढाणी नोवडी तन रामपुरा खातेदार राहिन सेंद्रल  
कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं के हिस्से खसरा नंबर 3/1 रकबा 2.317, खसरा  
नंबर 4/1 रकबा 0.3105 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.6275 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

*Bm*  
सहायक कलक्टर  
आमेर म. जयपुर



कालूराम पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, चंदाराम पुत्र गंगाराम हि. 1/2 जाति रैगर सा. देह खातेदार, राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, छोटी पत्नी स्व. रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, मनीषा पुत्री रामलाल हिस्सा 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, रामेश्वर पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, लालचंद पुत्र रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, सीता देवी पुत्री रामलाल हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 10 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/1 रकबा 2.5773 हैक्टेयर, खसरा नंबर 24/1298 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.623 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4 जाति महाजन सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल हि. 3/4 जाति महाजन सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा के हिस्से खसरा नंबर 5 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6/1 रकबा 3.456 हैक्टेयर, खसरा नंबर 7 रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 8 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.96 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/3 रकबा 0.0267 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4/4 रकबा 0.2600 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 7.8827 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. माल सिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/2 सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/2 सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 4/3 रकबा 3.8885 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1292 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1/1293 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1303 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35/1304 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 41/1307 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44/1 रकबा 2.5540 हैक्टेयर, खसरा नंबर 45/1308 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 46/1310 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48/1311 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 7.8825 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. कालूराम पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, ग्यारसी देवी पुत्री रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह, चंदाराम पुत्र गंगाराम हि. 1/16 जाति रैगर सा. देह खातेदार, छोटी पत्नी स्व. रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, बंशी पुत्र बिस्वा हि. 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. ढाणी नावेडी तन रामपुरा खातेदार राहिन हि. 1/8 पूर्ण खाता दी सेंटल कॉर्पोरेटिव बैंक लि. शाखा चौमूं, मनीषा देवी पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, मांगीलाल पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, माल सिंह पुत्र कानसिंह हि. 3/16 सा. देह खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र

33/2/1  
सहायक कलक्टर  
आमेर जयपुर

रामस्वरूप हि. 3/40 जाति महाजन सा. रायथल खातेदार राहिन हि. 3/40 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भैंसावा, रामेश्वर पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल हि. 3/10 जाति महाजन सा. ढाणी नावेडी तन रामपुरा खातेदार राहिन हि. 3/10 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैंसावा, रामसिंह पुत्र कानसिंह हि. 3/16 जाति चारण सा. देह खातेदार राहिन हि. 3/32 पूर्ण खाता राजस्थान मरुधरा बैंक ग्रामीण बैंक शाखा जालसू, लालचंद पुत्र रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार, सीता देवी पुत्री रामलाल हि. 1/28 जाति रैगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 3/2 रकबा 0.0630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4/2 रकबा 0.0810 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6/2 रकबा 0.1440 हैक्टेयर, खसरा नंबर 44/2 रकबा 0.0560 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11/2 रकबा 0.0460 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.05.2025 को जारी किया।

दस्तखत—  
ओहदा—



*[Signature]*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमि शनर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	-

*[Signature]*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर